

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक 1574/2020/
प्रति,

अटल नगर, दिनांक : 15/05/2020

1. समस्त जिला कलेक्टर
छत्तीसगढ़।
2. समस्त आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
छत्तीसगढ़।
3. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,
छत्तीसगढ़।

विषय :- महामारी (कोविड-19) के परिपेक्ष्य में संपत्ति कर भुगतान हेतु विशेष छूट।

संदर्भ :- शासन का पत्र क्र. 2446/2020/18 दिनांक 30.04.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, समसंख्यक संदर्भित पत्र के माध्यम से करदाताओं को संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि 30.04.2020 से बढ़ाकर 15.05.2020 की अपेक्षा की गई थी। संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने हेतु अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए 31.05.2020 निर्धारित की जावे।

2. कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्तिकर के भुगतान की स्थिति में, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यतः कराया जावे।
3. फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्तिकर की वसूली की जावे तथा नागरिकों को ऑनलाईन (Online) भुगतान हेतु प्रेरित किया जावे।

उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से शासन को अवगत करावें।

(एच.आर. दुबे)

अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्रमांक / 2577 / 2020 /
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक : 15 / 05 / 2020

1. मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
2. सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छ.ग.।
3. संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
4. संयुक्त संचालक, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचानालय को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग